राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2016"

-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

म्यूटेशन अपील 08/2015

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
उदयसिह पुत्र श्री माधोसिंह उर्फ माधूसिह जाति राजपूत निवासी गाजू तहसील मूण्डवा जिला नागौर हाल निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द		1. गोविन्दसिंह पुत्र जब्बरसिंह 2. राणुसिह पुत्र जब्बरसिंह 3. इन्द्रकवर पुत्री जब्बरसिंह 4. पूर्णसिंह पुत्र सम्पतसिंह 5. महेन्द्रसिंह पुत्र सम्पतसिंह 6. नरेन्द्रसिंह पुत्र सम्पतसिंह 7. सुमनकंवर पुत्री सम्पतसिंह जातियान राजपूत निवासी गाजू तहसील मूण्डवा जिला नागौर 8. नन्दकवर पुत्री माधोसिंह 9. ओंकारसिह पुत्र प्रेमसिह 10. राणूसिंह पुत्र प्रेमसिह 11. हनेरकवंर पत्नि प्रेमसिह जाति राजपूत निवासी गाजू तहसील मूण्डवा जिला नागौर हाल निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द 12. सरपंच ग्राम पंचायत गाजू। 13. तहसीलदार/उपखजियक मूण्डवा।

म्यूटेशन अपील अधीन धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम
विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 1217 दिनांक 05.02.2014 द्वारा ग्राम पंचायत गाजू द्वारा स्वीकृत किया गया

आदेश

दिनांक :– 30.05.2016

अपीलान्ट की ओर से निम्न अपील प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 11 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है जो स्व. किशोरसिंह के वारीसान है स्व. किशोरसिंह के दो पुत्र हुए थे एक माधोसिंह व दुसरा कुशालसिह था जिन दोनो का देहान्त हो चुका है माधोसिंह के उतराधिकारी अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 8 से 11 है तथा कुशालसिंह के उतराधिकारी रेस्पोडैन्ट संख्या 1 से 7 है।

अपीलांट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 के पुश्तैनी संयुक्त कब्जाशुद सहखातेदारी की अविभाजित भूमि हाल खसरा न. 46 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा खसरा न. 46/665 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, खसरा न. 56/1 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा न. 147 रकबा 2.11 बीघा व खसरा न. 330 रकबा 1.1 गे. मु. बाड़ा कुल रकबा 42 बीघा 14 बिस्वा वाले सरहद मौजा गाजु में स्थित है जिनमें 1/2 की खातेदारी व हक हिस्सा व बट की भूमि अपीलांट व रैस्पो. सं 8 के पिता व रेस्पो सं 9 से 11 के दादा व ससुर स्व माधोसिह पुत्र किशोरसिंह के नाम की रहती चली आई व 1/2 हिस्सा रेस्पो. स. 1 से 7 के दादा व ससुर कुशालसिह के बट कब्जा काश्त खातेदारी की रहती चली आई है। मौके पर आपसी सुविधा अनुसार आधे आधे भाग पर प्रत्येक खेत में उपरोक्त अनुसार पक्षकारान काबिज रहकर काश्त करते आये है। अपीलांट के पिता स्व. माधोसिह खाने कमाने के लिए काफी वर्ष पूर्व परिवार संहित गांव मोही जिला राजसमंद चले गये । तब से लेकर

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

आज तक हमारा परिवार वही रहकर मजदूरी करता है व हमारे हक हिस्से व बंट की आधी भूमि का अन्य लोगो को हासल पेटे काश्त हेतू देते आ रहे है व प्रतिवर्ष अपीलांट अपने व अपने परिवार के बंट हक हिस्से की भुमि , घर, बाड़ा, इत्यादि की सारसंभाल हेतू गांव आता जाता रहता है इस वर्ष अपीलांट अपनी कृषि भूमि व घर बाड़ा संभालने हेतू गांव आया व काफी दिन गांव गाजू में रुका व अपने हिस्से की भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने की सोची जिस हेतू खेतो की नकले लेने हेतू पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी ने बताया कि आपके नाम से कोई भूमि अब गाजू गांव में नहीं रही है। तब अपीलांट ने निवेदन किया कि मेरे पिता के नाम की 1/2 हिस्से की भूमि शुरु से रहती आई है अब क्यो नहीं है तो पटवारी ने कहा कि खतौनी में तो नाम नहीं है आपके पिता का नाम हटा दिया गया है तब अपीलांट ने तहसील मूण्डवा जाकर सम्पुर्ण रेकर्ड की नकलें मांगी जो नकले अपीलांट को दिनांक 5.10.2015 को प्राप्त हुई तब अपीलांट को जानकारी हुई की अपीलांट के पिता स्व माधोसिह जिनक देहान्त गांव मोही में दिनाक 8.3.2002 को हो गया था लेकिन रेस्पो सं. 1 सें 7 ने मुझ अपीलांट के पिता की 1/2 हक की भूमि को हडपने के लिए ग्राम पंचायत गाजू से मिलीभगत कर मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 20.1.2014 को होना बताकर व मेरे पिता स्व माधोसिंह के उतराधिकारी अपने आप को बताकर फोतगी नामान्तरकरण संख्या 1217 के जरिये उक्त सम्पूर्ण भूमि अपने नाम करवा ली, जो नामान्तरकरण सरासर गलत, अवैध व धोखाधडी से करवाया हुवा है व उक्त गलत नामान्तरकरण की आड़ में तुरन्त फुरन्त में आपसी विभाजन करवा कर उतरोतर रेकर्ड में गलत इन्द्राजी करवा ली,लेकिन मूल म्युटैशन ही कूटरचित दस्तावेज तैयार कर षड़यंत्रपूर्वक राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन करवाने के पश्चात ही उतरोतर गलत इन्द्राजीयां करवाई है जिससे मूल म्यूटैशन ही अवैध होने से उसके पश्चात उतरोतर हुई अवैध इन्द्राजीयां अपने आप में गलत व शून्य है जिससे मूल म्यूटैशन के विरुद्ध यह अपील निम्न आधारो पर पेश की जा रही है।

आधार अपील

1 यह है कि म्यूटैशन जैर अपील कतेई गलत, विधि विरुद्व व ग्राम पंचायत से मिलावट करके फर्जी दस्तावेज उतराधिकार प्रमाण पत्र आदि बनाकर बाले बाले भरवाया हुवा होने से काबिल निरसरत कये जाने योग्य है।

2 यह है कि स्व. माधोसिंह के विधिक उतराधिकारी अपीलांट व अपीलांट व अपीलांट की बहिन रेस्पो सं 8 व अपीलांट के भाई स्व प्रेमसिंह के उतराधिकारी रेस्पो. सं9 से11 हुऐ, रहे व है तथा इसकी जानकारी रेस्पो. सं.1 से 7 को भलीभांति रहती चली आई है क्योकि पक्षकारान एक ही पूर्वज के वंशज है तथा रेस्पो सं 1 से 7 को यह भी जानकारी रहती चली आई है कि अपीलांट के पिता का स्वर्गवास सन 2002 में मोही गांव मे हो गया व उनके स्वर्गवास पर रेस्पो. स. 1 से 7 गांव मोही आये भी थें। इसके बावजूद रेस्पो. सं 1 सें 7 ने ग्राम पंचायत गाजू के तत्कालीन सरपंच आदि से मिलावट कर अपीलांट व उसके परिवार के गांव गाजू में स्थाई रुप से निवास नहीं करने का नाजायज निवास नहीं करने का नाजायज फायदा उठाकर अपीलांट के पिता की मृत्यु सन 2002 में होते हुऐ भी सन् 2014 में बताकर स्व. माधोसिंह के विधिक उतराधिकारी अपीलांट व रेस्पो. सं. 8 से 11 होते हुऐ भी जमीन हडपने की बदनियती से उतराधिकारी अपने आप को बताकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर यह जानते हुऐ कि रेस्पो. स. 1 से 7 माधोसिंह के वारीस नही है फिर भी माधोसिंह के वारीस बताकर नामान्तरकरण जैर अपील करवाया है जो धोखाधाड़ी ,छल कपट व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर करवाया होने से अवैध व शून्य है तथा प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है व उक्त गलत नामान्तरकरण की आड़ मे रेकर्ड में उतरोतर हुई प्रविष्टियां अपने आप में शून्य होने से पूर्व की स्थिति बहाल करना आवश्यक व न्याय संगत है।

3 यह है कि ग्राम पंचायत को यह भलीभांति जानकारी रही है कि स्व. किशोरसिंह के दो पुत्र माधोसिह व कुशालसिंह हुए थे यह भी जानकारी थी कि माधोसिंह का परिवार गांव मोही जिला राजसमंद में वर्तमान में निवास कर रहा है इसके बावजूद भी माधोसिह के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण गलत रुप से कुशालसिंह के उतराधिकारीगण रेस्पो. सं. 1 से 7 के नाम स्वीकृत कर

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

दिया, जिसकी सूचना अपीलांट व माधोसिह के अन्य उतराधिकारीयो को लिखित या मौखिक रुप से नही दी न ही सुनवाई का अवसर दिया और फौतगी नामान्तरकरण भरने के लिए जो विधिक प्रकिया है उसकी पालना नही की इसलिए नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरुद्व होने से निरस्त किया जाकर उससे पूर्व की रेकर्ड की स्थिति बहाल की जाना आवश्यक है व स्व. माधोसिंह की जगह अपीलांट व रेस्पो. सं 8 से 11 का नाम रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर पुन नामान्तरकरण प्रस्तावित व स्वीकृत करने का आदेश दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

4 यह है कि माधोसिह के हक हिस्से की भूमि पर शुरु में माधोसिह का कब्जा काश्त व हक अधिकार रहता चला आने से व उनकी मृत्यु के पश्चात उनके हक हिस्से की भूमि पर अपीलांट व रेस्पो. स. 8 से 11 का कब्जा व काश्त निर्बाध रुप से बेरोक टोक रहता चला आने व आज तक कब्जे काश्त में किसी के द्वारा दखल नहीं करने से उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी, हाल ही मे अपीलांट अपने हक हिस्से की भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतू पटवारी से सम्पर्क कर खेतो की नकले मांगी व खतौनी में अपीलांट के पिता का नाम नहीं होने से तहसील भूण्डवा में जाकर नकले मोगी जो नकले दिनांक 5.10.2015 को प्राप्त होने पर उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 5.10.2015 को हुई तत्पश्चात कानूनी सलाह मशविरा किया व कूटरचना फर्जीवाड़ा बाबत पुलिस थाना कुचेरा ने रिपोर्ट पेश की व अपील की तैयार करके अब यह अपील पेश की जा रही है जो जानकारी की दिनांक 5.10.2015 से अन्दर मियाद शुमार किये जाने योग्य है जिस हेतू अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पेश है।

5 यह है कि अपील माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की है।

6 यह है कि अन्य उजरात बरवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्टस के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड तारीख पेशी दिनांक 28.03.2016 को भिजवाये गये थे। जिनकी रजिस्ट्री की रशीद संलग्न नोटिस चस्पा है।

मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील अपीलांट कथन किया कि म्यूटेशन संख्या 1217 दिनांक 05.02.2014 द्वारा ग्राम पंचायत गाजू ने म्यूटेशन गलत, विधि विरुद्ध व ग्राम पंचायत से मिलावट करके फर्जी दस्तावेजात उतराधिकारी प्रमाण पत्र आदि बनाकर बाले बाले की भरवाया है। स्वर्गीय माधोसिंह के विधिक उतराधिकारी अपीलान्ट व अपीलान्ट की बहिन रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व अपीलान्ट के भाई स्व. प्रेमसिंह के उतराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 11 व अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास सन् 2002 में मोही गांव में हो गया। उनके स्वर्गवास पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 गांव मोही आये थे। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 ने ग्राम पंचायत गाजू के तत्कालीन सरपंच आदि से मिलावट कर गांव गाजू में स्थाई निवास नही करने का नाजायज फायदा उठाकर अपीलान्ट के पिता की मृत्यु सन् 2002 में होते हुए भी सन् 2014 में बताकर स्वर्गीय माधोसिंह के उतराधिकारी वारिस नही होने का बताकर उक्त नामान्तरकरण गलत स्वीकार करवा लिया। स्वर्गीय माधोसिंह का मृत्यु प्रमाण ग्राम मोही जिला राजसमन्द द्वारा जारी मृत्यु की दिनांक 08.03.2002 का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत मूल नामान्तरकरण संख्या 1217 ग्राम गाजू का अवलोकन किया। जिसके कॉलम संख्या 3 में खातेदार गोविन्द, राणुसिंह पिसरान जब्बरसिंह, इन्द्रकंवर पत्नी स्व. जब्बरसिंह, सम्पतसिंह पिसरान कुशालसिंह कौम राजपूत 1/2 एवं माधोसिह पुत्र किशोरसिंह 1/2 खातेदार दर्ज है। उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 46, 46/615, 56/1, 147, 330 कुल 5 खेताय में अपीलान्ट के पिता माधोसिंह 1/2 हिस्से के सहखातेदार दर्ज रहते हुए भी ग्राम पंचायत गाजू ने बिना स्वर्गीय माधोसिंह के वारिसान सुने बिना उक्त म्यूटेशन विधि विरुद्ध दिनांक 05.02.2014 को आदेश जारी किया है।

दिनांक 05.02.2014 का बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत गाजू का अवलोकन किया। जिसमें प्रस्ताव संख्या 2 में हल्का पटवारी द्वारा म्यूटेशन संख्या 1214, 1215, 1216 ही

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत मे प्रस्तुत हुए थे। वादग्रस्त म्यूटेशन संख्या 1217 दिनांक 05.02.2014 ग्राम पंचायत गाजू की बैठक दिनांक 05.02.2014 में प्रस्तुत नही किया गया एवं सरपंच ग्राम पंचायत गाजू ने बिना ग्राम पंचायत की बैठक के ही उक्त म्यूटेशन स्वीकृत कराने की कानूनी भूल की है।

उपरोक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। म्यूटेशन संख्या 1217 में ग्राम पंचायत गाजू द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2014 को अपास्त किया जाता है। मामला तहसीलदार मूण्डवा को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि स्वर्गीय माधोसिंह के वारिसान की जांच कर नियमानुसार बाद जांच ग्राम गाजू के म्यूटेशन संख्या 1217 में अंकित वादग्रस्त खेताय का पुन म्यूटेशन दर्ज करावे।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

आदेश दिनांक 30.05.2016 को मज़मे आम में मेरा द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर